



जनपद बिजनौर
प्रेसनोट - थाना कोतवाली शहर

दिनांक 08.09.2025

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने मु0अ0सं0 755/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्त को चोरी की गयी मोटरसाइकिल सहित किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

अवगत कराना है कि दिनांक 06.09.2025 को वादी सुनील कुमार पुत्र राधेश्याम निवासी ग्राम बुढनपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर द्वारा थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी गयी कि दिनांक 05.09.2025 को किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उसकी बाइक (UP20AW4060) को चोरी कर लिया गया है ।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 755/2025 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया । विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान उपरोक्त अभियोग में अरुण पुत्र मुनेश्वर सिंह निवासी ग्राम मुबारकपुर तालान थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया ।



कार्यवाही विवरण-

आज दिनांक 08.09.2025 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग मे वांछित अभियुक्त अरुण पुत्र मुनेश्वर सिंह निवासी ग्राम मुबारकपुर तालान थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को चोरी की गयी मोटर साइकिल सहित गिरफ्तार किया गया तथा अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी । अग्रिम आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अरुण पुत्र मुनेश्वर सिंह निवासी ग्राम मुबारकपुर तालान थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 अंकुरपाल सिंह थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
- 2.का0 1475 अश्वनी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना मंडावली

दिनांक – 08.09.2025

थाना मंडावली पर 05 लावारिस वाहनों की नीलामी कुल 46,000/-रुपये में किये जाने के संबंध में।

कार्यवाही –

आज दिनांक 08.09.2025 को मा0 न्यायालय के आदेश के अनुपालन में उपजिलाधिकारी नजीबाबाद व क्षेत्राधिकारी नजीबाबाद की मौजूदगी में थाना मंडावली पर खड़े लावारिस कुल 05 वाहनों (02 टाटा मैजिक व 03 मोटरसाइकिल) की नियमानुसार नीलामी की कार्यवाही की गई, जिनका अनुमानित मूल्य 36,500/- रुपये था। नीलामी में कुल 09 बोलीदाता सम्मिलित हुए, जिसमें उक्त वाहनो की सर्वोच्च बोली सुल्तान अहमद पुत्र अब्दुल हफीज निवासी मौ0 जाफतागंज थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर द्वारा 46,000/- रुपये में लगाई गई। उक्त 05 वाहनो को सुल्तान अहमद उपरोक्त के हक में कुल 46,000/- रुपये में नीलामी की गई।



गठित टीम का विवरण –

1. श्रीमान उपजिलाधिकारी नजीबाबाद जनपद बिजनौर
2. श्रीमान क्षेत्राधिकारी नजीबाबाद जनपद बिजनौर
3. थानाध्यक्ष मंडावली मय टीम जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना अफजलगढ

दिनांक – 08.09.2025

थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 275/2025 धारा 351(3) बीएनएस से संबंधित 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

अवगत कराना है कि दिनांक 07.09.2025 को वादी श्री बाबू पुत्र अब्दुल रहीम निवासी ग्राम मानियावाला थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर द्वारा थाना अफजलगढ पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्तगण सोईन पुत्र अब्दुल कलाम, सलीम उर्फ सल्लू पुत्र यासीन निवासीगण ग्राम मानियावाला थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर व 02 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी एवं अन्य गवाहों को थाना अफजलगढ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 352/24 धारा 333/74/64/351(3) बीएनएस के मुकदमे में गवाही न देने हेतु जान से मारने की धमकी दी गई ।

इस संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना अफजलगढ पर मु0अ0सं0 275/2025 धारा 351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

आज दिनांक 08.09.2025 को थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित 02 अभियुक्तों सोईन पुत्र अब्दुल कलाम व सलीम उर्फ सल्लू पुत्र यासीन निवासीगण ग्राम मानियावाला थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर को धारा 170/126/135 बीएनएसएस के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया है । अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता-

1. सोईन पुत्र अब्दुल कलाम निवासी ग्राम मानियावाला थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
2. सलीम उर्फ सल्लू पुत्र यासीन निवासी ग्राम मानियावाला थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर

पुलिस टीम का विवरण –

1. थानाध्यक्ष सुमित राठी थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।
2. उ0नि0 प्रमोद कुमार सिंह थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।
3. हे0का0 440 विपिन मान थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।
4. का0 2106 सुरेश कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट - थाना कोतवाली देहात **दिनांक 08.09.2025**

थाना कोतवाली देहात पुलिस ने मु0अ0सं0 190/2025 धारा 69/115(2)/351(3)/352 बीएनएस में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 30.07.2025 को वादिनी ने थाना कोतवाली देहात पर तहरीर दी कि अभियुक्त तहजीम पुत्र नसीम निवासी ग्राम दहीरपुर थाना नांगल जनपद बिजनौर के द्वारा वादिनी के साथ शादी का झांसा देकर गलत काम कर गाली गलौच व जान से मारने की धमकी दी गयी । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 190/2025 धारा 69/115(2)/351(3)/352 बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही विवरण-

आज दिनांक 08.09.2025 को थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त तहजीम पुत्र नसीम निवासी ग्राम दहीरपुर थाना नांगल जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । अग्रिम आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. तहजीम पुत्र नसीम निवासी ग्राम दहीरपुर थाना नांगल जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री अनिल कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर ।

2.का0 1436 विकास कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर ।

3.का0 2425 अजय कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट - थाना चाँदपुर

दिनांक 08.09.2025

**थाना चाँदपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 498/25 धारा 115(2)/352/351(2) बीएनएस में
वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 07.09.2025 को वादी समर पुत्र मरगुवरहमान निवासी मौहल्ला काजी सराय थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर द्वारा थाना चाँदपुर पर तहरीर दी गयी कि दिनांक 07.09.2025 को अभियुक्त कलीम पुत्र मौहम्मद अली निवासी मौहल्ला मुफ्ती सराय कस्बा व थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर द्वारा वादी के साथ गाली-गलौच करते हुए मारपीट की गयी तथा जान से मारने की धमकी दी गयी ।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना चाँदपुर पर मु0अ0सं0 498/25 धारा 115(2)/352/351(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही विवरण-

आज दिनांक 08.09.2025 को थाना चाँदपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग मे वांछित अभियुक्त कलीम पुत्र मौहम्मद अली निवासी मौहल्ला मुफ्ती सराय कस्बा व थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर को धारा 170/126/135 BNSS के अंतर्गत गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया । अग्रिम आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

कलीम पुत्र मौहम्मद अली निवासी मौहल्ला मुफ्ती सराय कस्बा व थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर ।

अभियुक्त कलीम उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 498/25 धारा 115(2)/352/351(2) बीएनएस थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर ।
2. मु0अ0सं0 875/18 धारा 135 विधुत अधि0 थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 धर्मेन्द्र तोमर थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर ।
2. का0 1504 अनिल दयाल थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली देहात

दिनांक – 08.09.2025

थाना कोतवाली देहात पर 06 लावारिस वाहनों की नीलामी कुल 42,500/-रुपये में किये जाने के संबंध में।

कार्यवाही –

आज दिनांक 08.09.2025 को मा0 न्यायालय के आदेश के अनुपालन में उपजिलाधिकारी नगीना व क्षेत्राधिकारी, नगीना की मौजूदगी में थाना कोतवाली देहात पर खड़े लावारिस कुल 06 वाहनो (दुपहिया) की नियमानुसार नीलामी की कार्यवाही की गई। जिसमे कुल 06 वाहनों का अनुमानित मूल्य 13,400/- रुपये था। जिसमे उक्त वाहनो की सर्वोच्च बोली मौहम्मद जुनैद पुत्र महबूब निवासी हनीफ कालोनी थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर द्वारा 42,500/- रुपये में लगाई गई। उक्त 06 वाहनो को मौहम्मद जुनैद उपरोक्त के हक में कुल 42,500/- रुपये में नीलामी की गई।



गठित टीम का विवरण –

1. श्री नितिन कुमार उपजिलाधिकारी महोदय तहसील नगीना जनपद बिजनौर।
2. श्री अन्जनी कुमार चतुर्वेदी क्षेत्राधिकारी महोदय नगीना जनपद बिजनौर।
3. श्री अजब सिंह राणा नायब तहसीलदार नगीना, जनपद बिजनौर।
4. श्री कमल कुमार शर्मा राजस्व निरीक्षक कोतवाली, जनपद बिजनौर।
4. श्री प्रवेज कुमार थानाध्यक्ष कोतवाली देहात, जनपद बिजनौर
5. श्री अनुज कुमार लेखपाल कोतवाली, जनपद बिजनौर।
6. एचएम 840 सिद्धार्थ कुमार थाना कोतवाली देहात, जनपद बिजनौर।